भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 684

जिसका उत्तर 06 फरवरी, 2025 को दिया जाना है।

.....

राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन

684. :श्री रामवीर सिंह बिधूड़ी

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क(क्या राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन उपयोग:शोधित जल के पुन (एनएमसीजी), जैवविविधता - संरक्षण और प्रदूषित नदी क्षेत्रों के उपचारण में योगदान दे रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ताजे जल पर निर्भरता को कम करने के लिए किन जल का किन क्षेत्रों में शोधित अपशिष्ट-उपयोग किया जा सकता है:पुन?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क) और (ख): जी हां। भारत सरकार, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (एनएमसीजी) के अंतर्गत उपचारित जल के पुनःउपोयग, जैव-विविधता संरक्षण और प्रदूषित नदी क्षेत्रों के सुधार को बढ़ावा दे रही है। गंगा बेसिन में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा निम्नलिखित पहल की गई हैं:

1. राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा सुरक्षित उपचारित जल के पुनःउपयोग के लिए एक राष्ट्रीय संरचना भी विकसित की गयी है, जिसमें राज्यों को उनकी जल की पुनःउपयोग संबंधी नीतियों को तैयार करने में दिशानिर्देशन करने और उपचारित अपशिष्ट जल के पुनःउपयोग के लिए एक आर्थिक मॉडल स्थापित करने का कार्य शामिल है। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन उपचारित जल का सुरक्षित रूप से पुनःउपयोग करने के संबंध में शहरी नीति निर्माता और शहरी क्षेत्रों के अधिकारियों के लिए मार्गदर्शन पुस्तिका भी जारी की है, जिसका लक्ष्य ताजा जल संसाधन को संरक्षित करना और सतत जल प्रबंधन संबंधी गतिविधियों को बढ़ावा देना है।

2. उल्लेखनीय रूप से, ट्रांस यमुना एसटीपी से 8 एमएलडी उपचारित जल की नॉन-पोटेबल उद्देश्यों के लिए मथुरा रिफाइनरी और प्रगति पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, दिल्ली तथा जोजोबेरा थर्मल पावर प्लांट के दो थर्मल प्लांट को आपूर्ति की जाती है, झारखंड भी नजदीकी एसटीपी के उपचारित जल का उपयोग कर रहा है।

3. जैव-विविधता संरक्षण: उत्तर प्रदेश के सात जिलों (मिर्जापुर, बुलंदशहर, हापुड़, बदायूं, अयोध्या, बिजनौर और प्रतापगढ़) में सात जैव विविधता पार्क और उत्तर प्रदेश (3), बिहार (1) और झारखंड (1) में 5 प्राथमिक आर्द्रभूमियों को मंजूरी प्रदान कर दी गई है।

4. राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा राज्य वन विभाग के माध्यम से गंगा नदी की मुख्य धारा के साथ एक वानिकी कार्यकलाप परियोजना क्रियान्वित की गई है। कुल 33,024 हेक्टेयर क्षेत्र में लगभग 398 करोड़ रूपये के खर्च से वन रोपण कार्य किया गया है।

5. वर्ष 2017 से गंगा नदी में कुल 143.8 लाख भारतीय मेजर कार्प (आईएमसी) फिंगरलिंगस रैंचिग की गयी है ताकि मछली की जैव विविधता बनाई रखी जा सके और नदी डॉल्फ़िन के लिए उसका प्रे बेस को संरक्षित रखा जा सके, और साथ ही केंद्रीय अंतर्देशीय मत्स्य अनुसंधान संस्थान (सीआईएफआरआई) द्वारा लागू विशेष परियोजना के तहत गंगा बेसिन में मछुआरों की आजीविका सुनिश्चित की जा सके।

6. प्रदूषित नदी क्षेत्रों के सुधार के लिए कुल 203 सीवरेज अवसंरचना परियोजनाएं 32,613 करोड़ रूपये की लागत से शुरू की गई हैं, जिनकी उपचार क्षमता 6,255 मिलियन लीटर प्रति दिन (एमएलडी) है। 3,446 एमएलडी की क्षमता के साथ 127 एसटीपी परियोजनाएं पूरी की गई हैं और चालू कर दी गई हैं।

7. औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण के लिए, 3 सामान्य अपशिष्ट उपचार संयंत्र (सीईटीपी) को मंजूरी दे दी गई है, अर्थात्, जाजमऊ सीईटीपी (20 एमएलडी), बंठेर सीईटीपी (4.5 एमएलडी), और मथुरा सीईटीपी (6.25 एमएलडी)। दो परियोजनाएँ, मथुरा सीईटीपी (6.25 एमएलडी) और जाजमऊ सीईटीपी (20 एमएलडी) पूरी हो चुकी हैं।

(ग): भारत सरकार द्वारा ताजे पानी पर निर्भरता को कम करने के लिए विभिन्न गैर-पेय योग्य पानी के उद्देश्यों के लिए, विशेष रूप से औद्योगिक उपयोग, रेलवे, थर्मल पावर प्लांट, नगरपालिका उपयोग, सिंचाई उपयोग आदि के लिए उपचारित जल के पुनः उपयोग को बढ़ावा दिया जा रहा है।

*****